



भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य और परिवार
कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

Indian Council of Medical Research
Department of Health Research, Ministry of Health
and Family Welfare, Government of India

सं. पीएवंआई/विविधमामले/2023

दिनांक: 22-07-2026

(रिक्ति की अधिसूचना)

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), अपने अनुसंधान के निष्कर्षों, परिणामों और प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए नीति और संचार प्रभाग में युवा पेशेवरों (YP) की पूरी तरह अस्थाई संविदा आधार पर नियुक्ति करने के लिए वॉक-इन-इंटरव्यू आयोजित करने का प्रयोजन रखता है।

निम्नलिखित पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पदों के बारे में अधिक विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

क्र.सं.	कार्य की प्रकृति	पद का नाम	पदों की संख्या	समेकित परिलब्धियां	आयु सीमा
1.	सूचना सामग्री विकास एवं प्रसार	युवा पेशेवर-II (तकनीकी/वैज्ञानिक) (सामान्य)	01	रु.42,000/-	अधिकतम 35 वर्ष

उम्मीदवारों को 14 अगस्त, 2026 को प्रातः 09:30 बजे वॉक-इन-इंटरव्यू में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यह वॉक-इन-इंटरव्यू भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), बी. रामलिंगस्वामी भवन, पी.ओ. बॉक्स संख्या 4911, अंसारी नगर, नई दिल्ली – 110029, भारत में आयोजित किया जाएगा।

- उम्मीदवारों को समय पर उपस्थित होने के साथ-साथ भरे हुए आवेदन पत्र (संलग्न प्रारूप की प्रति) के साथ सत्यापन के लिए मूल दस्तावेज़ अनिवार्य रूप से लाने और वे स्वयं यह सुनिश्चित करें कि वे अनिवार्य पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। केवल शैक्षिक योग्यता, आयु, अनुभव आदि जैसे आवश्यक पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवार ही परिषद द्वारा मूल दस्तावेज़ों के सत्यापन के पश्चात साक्षात्कार में भाग लेने के पात्र होंगे।
- युवा पेशेवरों नियुक्ति की योजना भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के दिनांक 08-05-2026 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 16/84/2023- प्रशा./ ई-171470 के युवा पेशेवर (YP) की नियुक्ति संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी और इनके लिए नियम और शर्तें इसी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार होंगी।
- सामान्य नियम और शर्तें:**
 - ये पद अस्थाई संविदा आधार पर हैं।
 - आयु सीमा की अंतिम तारीख वॉक-इन-इंटरव्यू की तारीख होगी।
 - नियुक्ति की अवधि:-**
युवा पेशेवरों की नियुक्ति की प्रारंभिक अवधि शुरुआत में एक वर्ष के लिए होगी जिसे यदि आवश्यक हुआ तो, आईसीएमआर द्वारा संबंधित क्षेत्र में कार्य/सेवा की आवश्यकताओं को देखते हुए और अपर महानिदेशक/वरिष्ठ उप महानिदेशक/वरिष्ठ वित्त सलाहकार स्तर के अधिकारी द्वारा उनका मूल्यांकन करने के बाद उम्मीदवारों के संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर जिसे दो वर्षों के लिए (01 वर्ष में एक बार) बढ़ाया जा सकता है। आईसीएमआर में युवा पेशेवरों की नियुक्ति की अधिकतम अवधि किसी भी स्थिति में तीन वर्ष (1+1+1) है।
 - शैक्षिक योग्यता/विशेषज्ञता/अनुभव से संबंधित आवश्यक दस्तावेज़, जैसा कि दावा किया गया है, वॉक-इन-इंटरव्यू के समय आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न किए जाने हैं।
 - परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के लिए कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता (TA/DA) नहीं दिया जाएगा; उम्मीदवारों को परिवहन/आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

- vi. परिषद के महानिदेशक किसी भी आवेदन/उम्मीदवारी पर विचार करने या उसे किसी भी समय अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
- vii. चयन प्रक्रिया के दौरान गलत या झूठी जानकारी प्रस्तुत करने पर किसी भी चरण में उम्मीदवारी अयोग्य घोषित कर दी जाएगी।
- viii. मानव संसाधन पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का परिषद या उसके किसी भी संस्थान/केंद्र या भारत सरकार के किसी भी विभाग में नियमित पद पर दावा नहीं होगा। उनकी परियोजना अवधि, चाहे उसमें अंतराल हो या न हो, किसी एक या अनेक परियोजनाओं में, उन्हें आगे किसी अन्य परियोजना में नियुक्ति, स्थानांतरण, नियुक्ति/समायोजन/सेवा के नियमितीकरण का कोई अधिकार प्रदान करने का दावा नहीं करेगी। भविष्य निधि, पेंशन योजना, अवकाश यात्रा के लिए रियायत, चिकित्सा के लाभ का दावा, स्टाफ क्वार्टर तथा परिषद के नियमित कर्मचारियों को उपलब्ध अन्य सुविधाएँ परियोजना मानव संसाधन पदों पर लागू नहीं होंगी।
- ix. परिषद के महानिदेशक सहमत अनुबंध अवधि या विस्तारित अनुबंध अवधि के दौरान भी बिना कोई कारण बताए युवा पेशेवर के पद को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
- x. उपस्थिति और अवकाश परिषद के युवा पेशेवरों (YPS) के लिए निर्धारित नीति के अनुसार होंगे।
- xi. परिषद के महानिदेशक अपनी विवेकाधीन शक्ति से किसी भी समय प्रक्रिया को रद्द या संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
- xii. साक्षात्कार या नियुक्ति के लिए किसी भी प्रकार की सिफारिश या बाहरी प्रभाव डालने का प्रयास अयोग्यता माना जाएगा और उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा।
- xiii. परिषद के महानिदेशक प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों का एक पैनल तैयार/निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं, जो एक वर्ष के लिए वैध होगा।
- xiv. किसी भी केंद्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त संगठन/विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) में नियमित सेवा में कार्यरत उम्मीदवार इस पद पर आवेदन के पात्र नहीं हैं।
- xv. इस विज्ञापन से संबंधित कोई भी शुद्धि-पत्र/परिशिष्ट/अतिरिक्त जानकारी, केवल हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। अतः उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इस विज्ञापन से संबंधित आगे की अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से परिषद की आधिकारिक वेबसाइट (<https://www.icmr.gov.in/>) देखें। प्रेस में अलग से कोई अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी।

एसडी/-

नीति एवं संचार प्रभागाध्यक्ष

अनुलग्नक-I

सूचना सामग्री विकास और प्रसार	
पद का नाम	युवा पेशेवर-II (तकनीकी/वैज्ञानिक) (सामान्य)
पदों की संख्या	01
आयु सीमा	विज्ञापन की तारीख के अनुसार आयु 35 वर्ष से कम।
पारिश्रमिक	रु. 42,000/- प्रति महीना; कोई मकान किराया भत्ता (एचआरए) नहीं दिया जाएगा।
अनिवार्य अर्हकता	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से न्यूनतम 55% अंकों के साथ जीव विज्ञान/औषधि विज्ञान/सामाजिक कार्य/समाजशास्त्र/बीएएमएस, बीएसएमएस व स्नातकोत्तर उपाधि और आयुष में एमडी तथा संबंधित क्षेत्र में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के बाद कम से कम तीन वर्ष का अनुभव।
वांछनीय अर्हकता	• स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के बाद सरकारी संगठनों, अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसियों या निजी संगठनों में कार्य का अनुभव। • लेखन एवं संपादन, डिज़ाइनिंग तथा वीडियो संपादन में दक्षता (जहाँ लागू हो)। • नीति एवं संचार क्षेत्र में अनुभव, विशेषकर स्वास्थ्य या अनुसंधान क्षेत्र में। • आईटी अनुप्रयोगों, वर्चुअल मीटिंग प्लेटफॉर्म तथा कंप्यूटर एमएस वर्ड /एक्सेल/पावर प्वाइंट / टैली आदि) का ज्ञान। नोट: इंटरनशिप/प्रशिक्षण का अनुभव मान्य नहीं होगा।
भूमिकाएँ एवं उत्तरदायित्व	सोशल मीडिया और संचार सामग्री प्रभारी • संगठनात्मक लक्ष्यों के अनुरूप सभी संचार सामग्री और सोशल मीडिया आउटपुट की योजना, निर्माण और क्रियान्वयन की देखरेख करना। • उच्च मानकों और निरंतरता बनाए रखने के लिए सभी सामग्री पर रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करना और गुणवत्ता जांच करना। • सामग्री की स्वीकृति की सुगमता और विभिन्न माध्यमों पर समयबद्ध प्रसार सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक टीमों और बाहरी हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित करना। • प्रमुख अवसरों तथा संगठनात्मक पहलों के लिए रणनीतियों को शामिल करके व्यापक सोशल मीडिया अभियानों की रूपरेखा तैयार और विकसित करना। • नेतृत्व के साथ सहयोग करके सम्मेलनों, बैठकों और कार्यक्रमों के लिए मुख्य बिंदुओं का मसौदा तैयार करना, उन्हें परिष्कृत करना और अनुकूलित करना। वीडियो शूटिंग एवं संपादन • उच्च गुणवत्ता वाले परिणाम सुनिश्चित के लिए ग्राफिक डिज़ाइन, वीडियो शूटिंग, संपादन और उत्पादन गतिविधियों का नेतृत्व एवं पर्यवेक्षण करना। • संगठनात्मक उद्देश्यों और ब्रांडिंग दिशानिर्देशों के अनुरूप ग्राफिक और वीडियो सामग्री का विकास, समीक्षा और अनुमोदन करना। • प्रमुख संदेशों का प्रभावी संप्रेषण और सहभागिता को बढ़ाने के लिए इन्फोग्राफिक्स, दृश्यात्मक कहानी कहने और वीडियो कथानकों के लिए रचनात्मक दिशा प्रदान करना।

	- अभियानों, रिपोर्टों और अन्य आवर्ती संगठनात्मक आवश्यकताओं के लिए पुनः प्रयोज्य टेम्पलेट्स और दृश्य संसाधनों के विकास का मार्गदर्शन करना। - रचनात्मक परिणामों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करना, साथ ही उन्हें प्रभाग के उद्देश्यों और समय-सीमाओं के अनुरूप प्राथमिकता देना।
तैनाती का स्थान	नीति एवं संचार प्रभाग, परिषद मुख्यालय, नई दिल्ली